



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240969
CG-DL-E-10122022-240969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्राहायण 18, 1944

No. 5523]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5759(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1220(अ), दिनांक 21 मार्च 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले के एनएच-930P हैदराबाद ओआरआर [गौरेली पर इंटरचेंज, (वलिंगोंडा-थोरुर-नेल्लीकुदुर-महबूबाबाद-येलांडु-कोथागुडेम जंक्शन पर)] में NH-930P के कि.मी. 82.375 से कि.मी. 94.650 तथा कि.मी. 95.64 से कि.मी. 99.900 (आरडीओ-सूर्यपेट) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17 मई 2022" को "नमस्ते तेलंगाना" (तेलुगु) और "द हिन्दू" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपिट जिले में हैदराबाद ओआरआर [गौरेली पर इंटरचेंज,(वलिंगोंडा-थोरुर-नेल्लीकुदुर-महबूबाबाद-येलांडु-कोथागुडेम जंक्शन पर)] एनएच-930P के कि.मी. 82.375 से कि.मी. 94.650 तथा कि.मी. 95.640 से कि.मी. 99.900 तक (आरडीओ-सूर्यपिट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: सूर्यपिट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तिरुमालागिरि				
	गांव का नाम: अनंतराम				
1	76/1	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.0805537	शांगति सोमैया सॉन ऑफ नरैया(पी) ()
2	76/13	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.0700294	शांगति सोमैया सॉन ऑफ नरैया(पी) ()
3	76/14	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.115989	शांगति सोमैया सॉन ऑफ नरैया(पी) ()
4	76/15	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.0263347	शांगति सोमैया सॉन ऑफ नरैया(पी) ()
5	76/27	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.00021	वागु ()
6	76/29	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.0177974	शांगति सोमैया सॉन ऑफ नरैया(पी) ()
7	79	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.020015	वज्जा लिंगैया सॉन ऑफ मलैया(पी एंड इ) ()
8	79	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0889346	वज्जा परमेश सॉन ऑफ मलैया(पी एंड इ) ()

गांव का नाम: मामिडियाला					
9	416	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.010117	मुथिनेनी मल्लैया सॉन ऑफ नरैया(पी) मुथिनेनी नारायणा सॉन ऑफ मल्लैया(इ) ()
10	472	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.0505	मुथिनेनी मल्लैया सॉन ऑफ नरैया(पी) मुथिनेनी वेंकटरामुलु सॉन ऑफ मल्लैया(इ) ()
11	472	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.112729	मुथिनेनी मल्लैया सॉन ऑफ नरैया(पी) मुथिनेनी सोमेश्वर सॉन ऑफ मल्लैया(इ) ()
12	473	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.010117	मुथिनेनी मल्लैया सॉन ऑफ नरैया(पी) मुथिनेनी नारायणा सॉन ऑफ मल्लैया(इ) ()
13	473	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.055402	मुथिनेनी मल्लैया सॉन ऑफ नरैया(पी)मुथिनेनी सोमेश्वर सॉन ऑफ मल्लैया(इ) ()
14	473	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	0.010117	मुथिनेनी मल्लैया सॉन ऑफ नरैया(पी) मुथिनेनी वेंकटरामुलु सॉन ऑफ मल्लैया(इ) ()
गांव का नाम: तिरुमालगिरी					
15	467	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	0.002177	मंदाडी पट्टा रेड्डी सॉन ऑफ वेंकट रेड्डी(इ) ()
16	482	निजी(पट्टा)	आर्द्र(गैर कृषि भूमि)	0.001402	पोन्नम मल्लेश सॉन ऑफ कृष्णा मूर्ति(इ) ()
17	482	निजी(पट्टा)	आर्द्र(गैर कृषि भूमि)	0.000922	अक्कला कोंडैया सॉन ऑफ नारायणा(इ) ()
			कुल	0.6733468	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5759(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O N.O 1220(E) dated 21st March 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of **(widening/two lane with paved shoulder/four laning, etc.), Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-930P on the stretch of land from Km. 82.375 to Km. 94.650 and Km. 95.640 to Km. 99.900 (RDO-Suryapet), Junction at Hyderabad ORR (Interchange at Gowrelly) Valigonda-Thorrur-Nellikudur-Mahabubabad-Yellandu-Kothagudem junction at NH-930P in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in **“*Namasthe Telangana*” (Telugu) and “*The Hindu*” (English) both dated 17 May 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the competent Authority has received no objections from any person;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-930P in the stretch of land from 82.375 to Km. 94.650 and Km. 95.640 to Km. 99.900 (RDO-Suryapet), Junction at Hyderabad ORR (Interchange at Gowrelly) Valigonda-Thorrur-Nellikudur-Mahabubabad-Yellandu-Kothagudem junction at NH-930P in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: SURYAPET			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tirumalagiri				
	Village: Anantharam				
1	76/1	Government(lavani patta)	Wet(Agriculture land)	0.0805537	Shaganti Somaiah son of Narsaiah(E)
2	76/13	Government(lavani patta)	Wet(Agriculture land)	0.0700294	Shaganti Somaiah son of Narsaiah(E)
3	76/14	Government(lavani patta)	Wet(Agriculture land)	0.115989	Shaganti Somaiah son of Narsaiah(E)
4	76/15	Government(lavani patta)	Wet(Agriculture land)	0.0263347	Shaganti Somaiah son of Narsaiah(E)
5	76/27	Government(Lavuni patta)	Wet(Agriculture land)	0.00021	Vagu
6	76/29	Government(lavani patta)	Wet(Agriculture land)	0.0177974	Shaganti Somaiah son of Narsaiah(E)
7	79	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	0.020015	Vajja Lingaiah son of Mallaiah(P&E)
8	79	Private(patta)	Dry(Agriculture land)	0.0889346	Vajja Paramesh son of

			land)		Mallaiah(P&E)
	Village: Mamidiyala				
9	416	Private(patta)	Dry (Agricultural land)	0.010117	Muthineni Mallaiah son of Naraiah(P) Muthineni Narayana son of Mallaiah(E)
10	472	Private(patta)	Wet(Agriculture land)	0.0505	Muthineni Mallaiah son of Naraiah(P) Muthineni Venkatramulu son of Mallaiah(E)
11	472	Private(patta)	Wet(Agriculture land)	0.112729	Muthineni Mallaiah son of Naraiah(P) Muthineni Someshwar Rao son of Mallaiah(E)
12	473	Private(patta)	Wet(Agriculture land)	0.010117	Muthineni Mallaiah son of Naraiah(P) Muthineni Narayana son of Mallaiah(E)
13	473	Private(patta)	Wet(Agriculture land)	0.055402	Muthineni Mallaiah son of Naraiah(P) Muthineni Someshwar Rao son of Mallaiah(E)
14	473	Private(patta)	Wet(Agriculture land)	0.010117	Muthineni Mallaiah son of Naraiah(P) Muthineni Venkatramulu son of Mallaiah(E)
	Village: Tirumalagiri				
15	467	Private(Patta)	Dry(Non Agriculture land)	0.002177	Mandadi Padma Reddy son of Venkat Reddy(E)
16	482	Private(patta)	Wet(Non Agriculture land)	0.001402	Ponnam Mallesh son of Krishna Murthy(E)
17	482	Private(patta)	Wet(Non Agriculture land)	0.000922	Akkala Kondaiah son of Narayana(E)
			TOTAL	0.6733468	

[F. No. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3D]

RAJESH GUPTA, Director